<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 14/2020 दायर दिनांकः 05/11/2020

उनवान

1. सूरजमल (मृतक) पुत्र धन्नालाल जाति बैरवा निवासी चरडाना हाल निवासी स्कूल के पास छापर दुंर्जनपुरा वार्ड नं0 5 बारां तहसील बारां जिला बारा (राज०)।

1/1 कल्याणी बाई पत्नि स्व0 सूरजमल जाति बैरवा

1/2 हेमराज पुत्र स्व0 सूरजमल जाति बैरवा

1/3 विमला पुत्री स्व0 सूरजमल जाति बैरवा

1/4 बसन्ती बाई पुत्री स्व0 सूरजमल जाति बैरवा

1/5 विजय कुमार पुत्र स्व0 सूरजमल जाति बैरवा निवासीगण चरडाना हाल निवासी स्कूल के पास छापर दुंर्जनपुरा वार्ड नं0 5 बारां तहसील बारां जिला बारा (राज०)।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>
<u>बाबत नाम दुरस्ती</u>

उपस्थिति :—
प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश

दिनाकः 12/10/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मोतीपुरा जागीर पटवार मण्डल चरडाना तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 151 का ख0नं0 87 का रकबा 1.29 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.29 है0 आराजी प्रार्थी के दर्ज खाता है। नकल जमाबंदी नवीन खाता संख्या 151 साथ में संलग्न है। आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थी का नाम खाते में गलती से सूरजमल के स्थान पर लटूर दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम सूरजमल है प्रार्थी के बैंक डायरी, आधार कार्ड, परिवार राशन

कार्ड, भामाशाह कार्ड तथा ग्राम पंचायत चरडाना द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी का सही नाम सूरजमल दर्ज है। आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण द्वारा प्रार्थी का नाम सूरजमल के स्थान पर लटूर दर्ज करने की त्रुटि की है जिसे सही किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम सूरजमल के स्थान पर लटूर दर्ज करने की त्रुटि आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने की है इसलिए प्रार्थी आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा की गई त्रुटि को सही करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने उक्त वर्णित आराजी में नाम लटूर के स्थान पर सूरजमल दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को दिया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह दी। इसलिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम लटूर के स्थान पर सूरजमल दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत **pw 1** व **pw 2** के शपथ पत्र पेश किये गये।

अभिभाषक प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम मोतीपुरा जागीर तहसील अटरू में खाता संख्या 151 का ख0नं0 87 का रकबा 1.29 है0 में प्रार्थी का नाम लटूर के स्थान पर सूरजमल दर्ज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2072—75 ग्राम मोतीपुरा जागीर के खाता संख्या 151 का ख0नं0 87 का रकबा 1.29 है0 लटूर पुत्र धन्नालाल जाति बैरवा के दर्ज खाता है। अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक डायरी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मृत्यु प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम सूरज मल बैरवा दर्ज है तथा राशन कार्ड में सूरजमल दर्ज है। ग्राम पंचायत चरडाना के प्रमाण पत्र दिनांक 02.11.2020 अनुसार सुरजमल पुत्र धन्नालाल जाति बैरवा ग्राम चरडाना के निवासी था जिसका हाल मुकाम गोदयापुरा बारां था।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल मोतीपुरा जागीर तहसील अटरू के खाता संख्या 151 का ख0नं0 87 का रकबा 1.29 है0 में खातेदार लटूर के स्थान पर सूरज मल उर्फ लटूर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां